EPW

ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण संवैधानिक

OJANK ACADEMY

आपको क्यों पता होना चाहिए?

7 नवम्बर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक निर्णय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) कोटे के तहत प्राप्त 10% आरक्षण की वैद्यता को बरकरार रखा है।

विवरण में -

- सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) को प्राप्त 10 प्रतिशत आरक्षण को 3-2 से सही ठहराया है।
- जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 103 वें संविधान संशोधन को वैध करार दिया, वहीं मुख्य न्यायधीश यू यू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट ने इससे असहमति जताई।

ईडब्लूएस कोटे के तहत आरक्षण पर जजों की राय -

- जस्टिस माहेश्वरी ने के अनुसार आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के हित के लिए एक सकारात्मक उपाय है। इसलिए केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। एससी/एसटी और ओबीसी को ईडब्लूएस कोटे से बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर सही है। पचास प्रतिशत तय आरक्षण सीमा के अतिरिक्त ईडब्लूएस आरक्षण संवैधानिक है।
- जस्टिस त्रिवेदी के अनुसार संशोधन के ज़रिए ईडब्लूएस को अलग वर्ग के रूप में बताना तार्किक वर्गीकरण है। संसद लोगों की ज़रूरत को समझती है और वो आरक्षण में आर्थिक पहलू शामिल न होने से वाकिफ़ है। ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत की जाति व्यवस्था ने आरक्षण को जन्म दिया ताकि एससी-एसटी समुदाय को बराबरी का हक़ मिल सके। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद हमें आरक्षण को संविधान के नए आइने में देखने की ज़रूरत है।
- जस्टिस जेबी पारदीवाला के अनुसार यह संविधान संशोधन पूरी तरह से वैध है।
- असहमति वाले फैसले में जस्टिस एस रवींद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है। लेकिन एससी/एसटी/ओबीसी के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव के निषिद्ध रूपों का अभ्यास करता है।

OJAS ACADEMY

- जस्टिस भट्ट ने आरक्षण के मामलों में 50% की सीमा के उल्लंघन के खिलाफ भी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 50% के उल्लंघन की अनुमति देने से विभाजन होगा। समानता के अधिकार का नियम आरक्षण का अधिकार बन जाएगा जो हमें वापस चंपकम दोरैराजन में ले जाएगा।

आरक्षण के बारे में-

- सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के समुदायों को सामाजिक स्तर तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को समाप्त करने के उद्देश्य से तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संविधान में सकारात्मक उपायों का प्रावधान है, जिसे आरक्षण कहा जाता है।

आरक्षण के बारे में संवैधानिक प्रावधान-

- संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15 (4) के अनुसार यदि राज्य को लगता है, तो वह सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार यदि राज्य को लगता है, कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है।
- अनुच्छेद- 330 के अंतर्गत संसद तथा अनुच्छेद- 332 में राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।

आर्थिक आधार पर आरक्षण-

- 2019 में सरकार के द्वारा 103 वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा के रूप में जाना जाता है।
- गौरतलब है कि ईडब्लूएस आरक्षण मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस आर सिंहो की अध्यक्षता वाले एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। मार्च, 2005 में यूपीए सरकार द्वारा गठित इस आयोग ने जुलाई, 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

चुनौती का आधार -

- आर्थिक आधार पर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ताओं ने संशोधन को इस आधार पर भी चुनौती दी कि यह सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले का उल्लंघन करता है, जिसने मंडल रिपोर्ट को बरकरार रखा और आरक्षण को 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया था।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता था और आरक्षण की कुल 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन था जैसा कि इंद्रा साहनी मामले में कहा गया था।

आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए आवश्यक योग्यता-

- आरक्षण प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए।

OJANK ACADEMY

- लाभार्थी के पास 5 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य जमीन हो।
- लाभार्थी का मकान 1000 स्क्वायर फीट से कम जमीं पर बना हो।
- लाभार्थी के पास नगर निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो।
- व्यक्ति किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हो।

निष्कर्ष-

- सरकारों को आरक्षण नीति, उसकी प्रक्रिया और लाभार्थियों की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है अथवा नहीं, जिन्हें इसकी आवश्यकता है।
- यह बात सही है कि आरक्षण राष्ट्रीय नीति एवं संवैधानिक वचनबद्धता है, लेकिन इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि इसके अमल का दायरा क्या हो, यह सार्वजनिक विचार-विमर्श से तय होना चाहिए।
- जब अन्य संवैधानिक प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा हो सकती है और जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि उचित व्यक्ति और समाज के वंचित तबके को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

मलेरिया के आरटीएस, एस/एएस01 वैक्सीन को मंजूरी

आपको क्यों पता होना चाहिए?

हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा बच्चों के टीकाकरण के लिए ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित आरटीएस, एस/एएस01 (मॉस्क्युरिक्स) वैक्सीन को मंजूरी दी गई।

विवरण में -

• गौरतलब है कि मलेरिया से हर साल लगभग 600,000 लोगों की जान जाती है, जिनमें से अधिकतर उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र के पांच साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं।

• वैसे तो इस रोग के खिलाफ एक प्रभावी टीका विकसित करने की आवश्यकता लंबे समय से सर्वोच्च प्राथमिकता में रही है लेकिन इसके परजीवी के अत्यधिक जटिल जीवन चक्र को देखते हुए, यह एक बहुत कठिन काम रहा।

• इस परिप्रेक्ष्य में बच्चों के टीकाकरण के लिए ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित आरटीएस, एस/एएस01 (मॉस्क्यूरिक्स) की अक्टूबर, 2021 में डब्ल्यूएचओ से मंजूरी एक मील का पत्थर है।

• हालांकि आरटीएस, एस/एएस01 में मामूली प्रभावकारिता ही है और यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों को चार खुराक देने के बाद गंभीर मलेरिया के मामलों का केवल 30 प्रतिशत तक ही कम कर सकता है, फिर भी यह हर साल हजारों लोगों की जान बचाकर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा।

• इस सफलता के लिए 30 साल से अधिक का समय और लगभग $700 मिलियन का खर्च लगा, जो मलेरिया जैसी परजीवी बीमारी के खिलाफ एक टीका विकसित करने में वैज्ञानिक और रसद चुनौतियों को रेखांकित करता है।

• ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा मॉस्क्युरिक्स के निर्माण के लिए भारत बायोटेक को लाइसेंस प्रदान किया गया है और 2029 तक, हैदराबाद स्थित इस कंपनी के इस टीके का एकमात्र वैश्विक निर्माता होने की उम्मीद की जा रही है।

मलेरिया के बारे में-

• मलेरिया एक मच्छर जनित संक्रामक रोग है जो मनुष्यों और अन्य जानवरों को प्रभावित करता है।

• यह प्लाज्मोडियम समूह के एकल-कोशिका वाले सूक्ष्मजीवों के कारण होता है।

• यह विशेष रूप से संक्रमित एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है।

• मच्छर के काटने से मच्छर की लार से परजीवी व्यक्ति के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं।

• रक्त से ये परजीवी यकृत में पहुंचते हैं जहां वे परिपक्व होकर प्रजनन करते हैं।

• यह रोग उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक है जो भूमध्य रेखा के चारों ओर एक विस्तृत बैंड में मौजूद हैं।

पराली जलाने से वायु प्रदूषण में वृद्धि

आपको क्यों पता होना चाहिए?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा आगाह किया गया कि पराली जलाने से संबंधित वायु प्रदूषण में अक्टूबर, 2021 की तुलना में अक्टूबर, 2022 में राजस्थान में 160 प्रतिशत और पंजाब में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विवरण में -

• केंद्रीय मंत्री के अनुसार राजस्थान और पंजाब दोनों राज्यों की सरकारें पराली जलाने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही हैं, जिससे दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है।

• दूसरी ओर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में उत्तरोत्तर गिरावट दर्ज की गई है।

OJANK ACADEMY

• गौरतलब है कि 2018-19 से केंद्र ने पराली प्रबंधन के लिए राज्यों को 3,138 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जिसमें से लगभग 1,500 करोड़ अकेले पंजाब को प्रदान किया गया है।

• इसके विपरीत पंजाब में खेत की आग अक्टूबर, 2021 से अक्टूबर, 2022 तक 13269 से बढ़कर 16004 हो गई, जिसमें 20% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि राजस्थान में, यह अक्टूबर, 2021 से अक्टूबर, 2022 तक 124 से बढ़कर 318 हो गई, जिसमें 160% की वृद्धि दर्ज की गई।

• इसी अवधि के दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आग की घटनाओं में क्रमशः 30% और 38% की गिरावट देखी गई।

• इस प्रकार मौजूदा नवंबर महीने के पहले पांच दिनों में, पंजाब में आग की संख्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत अधिक थी।

पराली प्रबंधन-

• फसल अवशेष या पराली पौधे के वे भाग होते हैं जो फसल की कटाई और गहाई के बाद खेत में रह जाते हैं, उदाहरण के लिए पुआल, तना, डंठल, पत्ते और छिलके आदि।

• चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष फसल अवशेष जलाने वाले देश हैं।

• भारत में इसे सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलाया जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा और पंजाब जैसे उन्नत कृषि वाले राज्यों में भी केवल 10 प्रतिशत किसान ही फसल अवशेष का प्रबंधन कर रहे हैं।

• गौरतलब है कि भारत में सालाना 154.59 मीट्रिक टन, धान अवशेष का उत्पादन किया जाता है। इसे जलाने से प्रति वर्ष 0.236 टन नाइट्रोजन, 0.009 टन फास्फोरस और 0.200 टन पोटाश की हानि होती है।

• अगर इसके कारणों की बात करें तो कुछ किसान जागरूक हैं जबकि अधिकतर किसान उचित तकनीक के अभाव में फसल अवशेष जलाते हैं।

• जानकारी के अभाव में किसान इसे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, अपितु इसके अधिकांश भाग को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है या अन्य घरेलू उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है।

• एक अध्ययन के अनुसार, फसल अवशेष का केवल 22 प्रतिशत ही उपयोग किया जाता है, बाकी को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है।

• साथ ही फसल अवशेष भारत में पशुओं के आहार का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।

• इस प्रकार उचित फसल प्रबंधन का अभाव, समय की कमी और किसानों के स्तर पर लागत के बोझ के कारण काफी मात्रा में फसल अवशेष खेतों में जला दिया जाता है जो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।

फसल अवशेष जलाने से दुष्प्रभाव-

• फसल अवशेष जलाने से क्षोभमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे गैसीय प्रदूषकों का संगठन बढ़ जाता है।

OJANK ACADEMY

• एक टन भूसा जलाने से 3 किग्रा पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), 60 किग्रा कार्बन मोनोऑक्साइड, 1,460 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किग्रा राख और 2 किग्रा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। इन गैसों के कारण सामान्य वायु गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है।

• यह एरोसोल कणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, विशेष रूप से जैसे PM10 और PM2.5।

• खेत में फसल अवशेषों को आग लगाने से मिट्टी की नमी में कमी और मिट्टी के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे खेत की उर्वरता कम हो जाती है और साथ ही मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

• जिस खेत में पराली जलाई जाती है, उस खेत में किसानों के दोस्त कहे जाने वाले जानवर और कीड़े भी आग की चपेट में आ जाते हैं।

• जब फसलों के अवशेषों को जलाया जाता है, तो उनकी जड़ों, तनों और पत्तियों में जमा लाभकारी पोषक तत्व जलने से नष्ट हो जाते हैं।

• धान की पराली को खेत में जलाने से भूसे में मौजूद नाइट्रोजन की लगभग सभी मात्रा, लगभग 25 प्रतिशत फास्फोरस, 20 प्रतिशत पोटेशियम और 5 से 50 प्रतिशत सल्फर की हानि होती है।

• धान की फसल के अवशेषों को जलाने से आसपास के खेतों, खलिहानों और आबादी वाले क्षेत्रों में आग लगने की संभावना रहती है।

• विभिन्न अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि कृषि अवशेषों को जलाने से निकलने वाले महीन कण आसानी से फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं।

• इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण से विदेशी पर्यटकों के आगमन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भारत सरकार के प्रयास-

• पराली जलाने से होने वाले नुकसान और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए भारत सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है।

• इसके तहत कृषि विज्ञान केन्द्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की परिषद, राज्य कृषि संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि को शामिल कर किसानों के लिए कृषि मशीनरी की उपलब्धता के साथ-साथ ज्ञान साझा करने, जागरूकता अभियान और विभिन्न आयामों के आयोजन का कार्य किया जा रहा है।

• पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना देश के चुनिंदा राज्यों में संचालित की जा रही है।

• सीएचसी, निजी उद्यमियों और किसान संगठनों के माध्यम से कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देकर किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

• किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन कृषि मशीनरी पर व्यक्तिगत रूप से अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है।

• फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर कृषि मशीनरी पर 50 और 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

OJAANK ACADEMY

पूसा डीकंपोजर-

• यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक छोटा कैप्सूल है, जो फसल अवशेषों को लाभदायक कृषि अपशिष्ट खाद में परिवर्तित करता है।

• इसके एक कैप्सूल की कीमत मात्र 4-5 रुपये है और एक एकड़ खेत के अवशेष को उपयोगी खाद में बदलने के लिए केवल 4 कैप्सूल की ही आवश्यकता होती है।

OJAANK ACADEMY